(16)

न्यायालय तहसीलदार (सदर) कानपुर नगर।

वाद सं0—598 / 10—11

महावीर सह0आ0स0 **बनाम** **श्रीमती रामलली**

धारा—34 / 35 एल0आर0 एक्ट ।

मौजा—बैरी अकबरपुर कछार कानपुर नगर।

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर प्रस्तुत करते हुए विक्रीत भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम अंकित किये जाने की प्रार्थना की है।

नियमानुसार इस्तहार जारी किये गये जो बाद तामीली शामिल पत्रावली हैं। किसी ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुयी। वादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य में मूल बैनामा, नकल उद्धरण खतौनी व शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। विक्रीत भूमि पर वादी का ही कब्जा व दखल है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नही है। विक्रीत भूमि के0डी0ए0, सीलिंग, भूदान, पट्टा आदि की नहीं है।

मैंने पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को पढ़ा। पत्रावली में उपलब्ध मूल बैनामा से आराजी निजाई का प्रार्थी के हक में विक्रय किया जाना सिद्ध है। अतएव वादी का नामान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाता हूँ। अतः वादी का नामान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

ग्राम बैरी अकबरपुर कछार की खतौनी वर्ष 1415 फ0 लगायत 1420 फ0 के खाता सं0 386 आराजी सं0 1044 / 0.328, 1090 / 0.051हे0 कुल 2 किता कुल रकवा 0.379हे0 के 1/4 भाग मालगुजारी 60ख से विक्रेती श्रीमती रामलली पत्नी सुरेन्द्र कुमार वर्मा निवासिनी म0नं0 124 / 44बी ब्लाक गोविन्द नगर कानपुर नगर का नाम पृथक करके पंजीकृत बैनामा दिनॉक 07—08—2010 के आधार पर केता महावीर सहकारी आवास समिति लि0 कानपुर नगर द्वारा सचिव श्री ए0के0जैन पुत्र श्री जे0के0 जैन निवासी म0नं0 73 आर0एस0पुरम काकादेव कानपुर नगर का नाम बतौर संकमणीय भूमिधर / सहकृषक दर्ज कागजात किया जावे। वाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफतर की जावे ।

दिनॉक:— 8.2.11

तहसीलदार (सदर)
कानपुर नगर।

(16)

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

Advocate
Court Compound, Kanpur

|| श्रीगणेशायनम: ||

मन कि श्रीमती रामलली पत्नी सुरेन्द्र कुमार वर्मा निवासिनी मकान नम्बर १२४।४४ बी ब्लाक गोविन्द नगर शहर कानपुर की हूं।

विदित हो कि मिन मुकिरा आराजी भूमिधरी नम्बरी १०४४ रकबा ०. ३२८ है० व १०६० रकबा ०. ०५१ है० कुल दो किता कुल रकबा ०. ३७९ है० यानी १।।।)२ स्थित मौजा बैरी अकबरपुर कछार परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर के १।४ भाग की तनहा मालिक, काबिज दखील

रामलली
रामलली

1000Rs

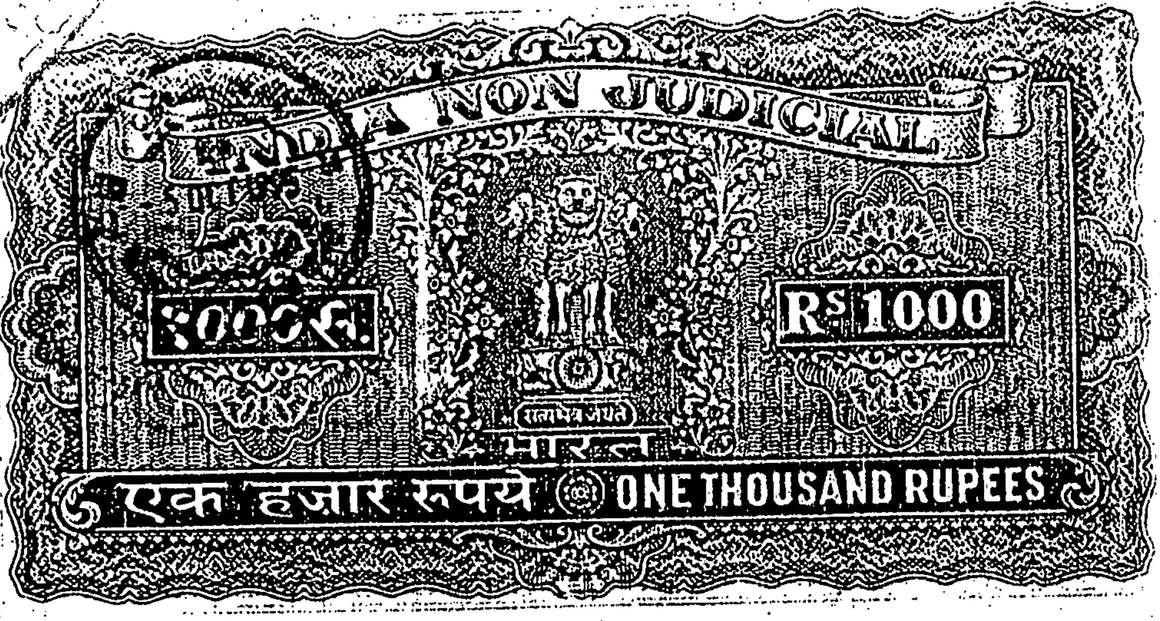

(२)

संक्रमणीय भूमिधर काश्तकारिया है। मिन मुकिरा के हिस्से में अन्य कोई व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार नहीं है, और न ही भागीदार है। कब्जा भी मिन मुकिरा का है तथा नाम भी दर्ज कागजात सरकारी भूराजस्व अभिलेखों में बताना मिलकियत है। मिन मुकिरा की उक्त आराजियात विवरण निम्नलिखित आज दिन तक कुल्ला बार किफालत से बरी पाक व साफ है। कहीं रहन, बय, हिबा, मुस्तगरक, जमानत आदि नहीं है तथा किसी डिगरी व इजराये डिगरी में कुर्क अथवा बासरे नीलाम नहीं है, तथा मिन मुकिरा को किसी न्यायालय या महकमा सरकारी द्वारा आज दिन तक उक्त

राम लाला
रामलाला

1000Rs.

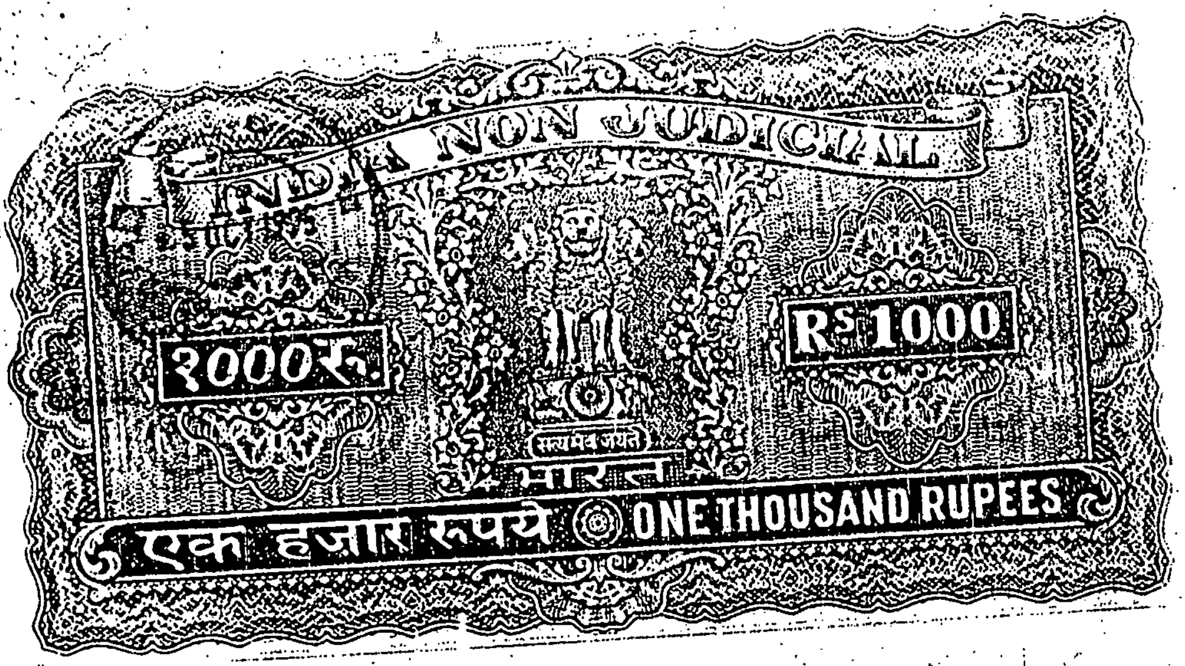

(३)

जायदाद को विक्रय आदि करने से भी नहीं रोका गया है। उक्त जायदाद किसी न्यायालय या मोहकमा सरकारी द्वारा आज दिन तक एक्वायर नहीं की गयी है और न ही मिन मुकिरा को एक्वायर करने सम्बन्धी कोई नोटिस ही प्राप्त हुई है तथा मिन मुकिरा की उक्त जायदाद बैंक लोन आदि में बन्धक नहीं है तथा कोई इल्लत इनकम टैक्स या सेल टैक्स की नहीं है। गरजे कि जायदाद उपरोक्त आज दिन तक हर प्रकार बेपाक व साफ है तथा मिन मुकिरा को उक्त आराजियात विवरण निम्नलिखित को बजरिये बयनामा विक्रय करने सम्बन्धी समस्त अधिकार मालिकाना हासिल है। चूंकि मिन मुकिरा

राम लली
रामवती

1000 Rs.

(४)

को वास्ते खर्च खानगी व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति
हेतु रुपया की सख्त आवश्यकता दरपेश है, जो कि बिना
बेचे हुये आराजियात उपरोक्त विवरण हस्ब जैल मिन
मुकिरा की जरूरत रफा नहीं हो सकती है। लिहाजा
मिन मुकिरा ने उक्त आराजियात विवरण निम्नलिखित,
को बेचना उचित समझ कर बेचने की बाबत इधर उधर बात-
चीत की तो उपरोक्त आराजियात को सह मालिक, काबिज
दाखिल महावीर सहकारी आवास समिति लि० मुख्य कार्यालय
सिटी सेण्टर मालरोड शहर कानपुर जरिये सचिव श्री ए० के० जैन
बालिग पुत्र श्री जे० के० जैन निवासी मकान नम्बर ७३ आर० एस०

रामलाल
रामलाल

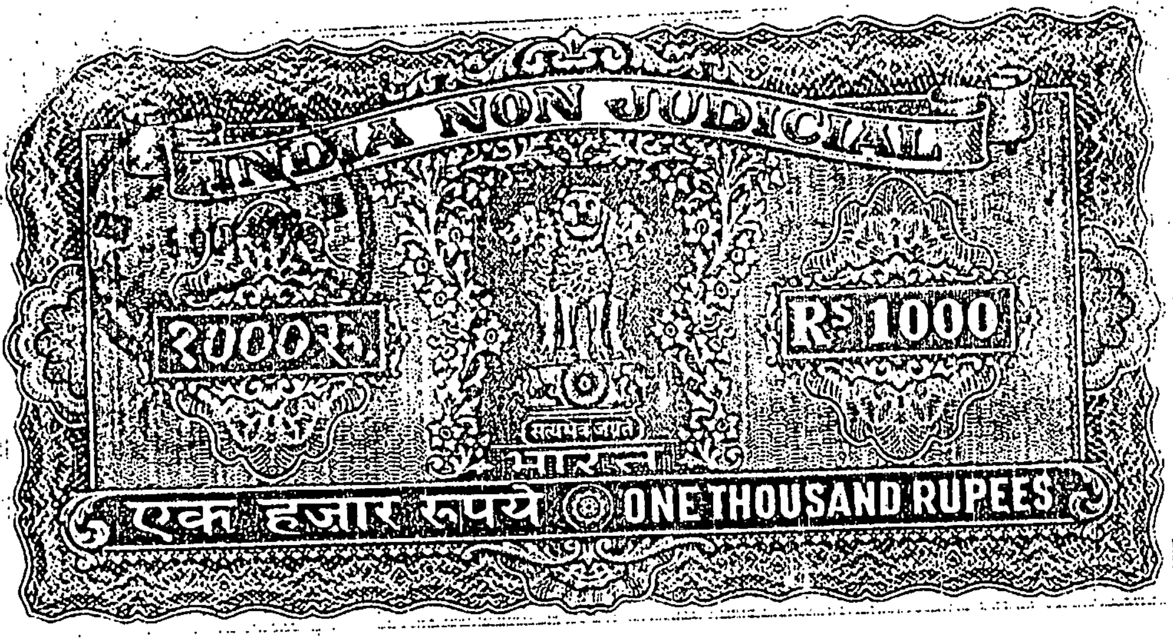

(५)

पुरम काकादेव शहर कानपुर फिल् एवज मुबलिग

४६,२५०।- छियालिस हजार दो सौ पचास रुपया

में मिन मुकिर का १।४ भाग विवरण निम्नलिखित

को खरीद करने पर तैयार व रजामन्द है, कीमत निहायत

मुनासिब व वाजिब है। तथा मिन मुकिरा को मंजूर व

तस्लीम है। इससे ज्यादा कीमत में उक्त जायदाद नहीं

बिक सकता है। उपरोक्त खरीदार समिति ने उक्त कुल

आराजियात का निस्फ भाग पहले ही सह काश्तकारान

शिवप्रसाद वगैरह से क्रय कर लिया है। लिहाजा बहालत

सेहत जात व सबात अक्ल बदुरुस्ती होश हवास बिला

रामलली
रामलला

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु.   Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये   ONE THOUSAND RUPEES

किसी दाव नाजायज के मय जुमला हक व हकूक दाखिली व खारिजी हाल व आयन्दा बिना छोड़े हुए किसी चीज के मय हकूक मालिकाना व इन्तकाली सहित बिल एवज मुबलिग ४६,२५०।- छियालिस हजार दो सौ पचास रुपयामें बदस्तमहावीर सहकारी आवास समिति लि० मुख्य कार्यालय सिटी सेन्टर मालरोड, शहर कानपुर जरिये सचिव श्री ए०के० जैन बालिग पुत्र श्री जे० के० जैन निवासी मकान नम्बर ७३, ला० रस० पुरम, काकादेव शहर कानपुर को विक्रय कर दिया यानी बेंच डाला तथा मिन मुकिरा ने कुल विक्रय धनराशि मुबलिग ४६,२५०।- छियालिस हजार दो सौ पचास रुपया जिसके आधे मुबलिग २३,१२५।- तेइस हजार एक सौ पचीस रुपया होते हैं, निम्नलिखित तफसील के अनुसार नपरोक्त

रामलाली
रामलाली

INDIA NON JUDICIAL

२000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते
भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

खरीदार समिति से नक़द वसूल पा लिया है। निस्बत जर समन अब एक भी पैसा पाना जिम्मे खरीदार समिति के शेष नहीं रह गया है। मिन मुकिर ने आज की तारीख से जायदाद मुबैया हाजा से अपना कब्जा बदखल मालिकाना व वाकई कतई मौके से हटा कर मिस्ल अपने कब्जा बदखल मालिकाना व वाकई जायदाद मुबैया हाजा पर आज की तारीख से खरीदार समिति को करा दिया तथा मालिक, काबिज करा दिया, आज की तारीख से खरीदार समिति जायदाद मुबैया हाजा का एक मात्र मालिक, काबिज व दखील हो गया तथा उसे कुल अधिकार जायदाद मुबैया हाजा की

राम लली
राम लाली

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

निस्बत मालिकाना, इन्तकाली, दाखिली व खारिजी हाल व आयन्दा के हासिल हो गये हैं। अब खरीदार समिति को अधिकार होगा कि वह जायदाद मुबैया हाजा पर मालिक, काबिज बदखिल रह कर जिस प्रकार से चाहे अपने स्तेमाल व प्रयोग में लावे। हमें मुकिरा व वारिसान मुकिरा व कायम मुकामान वारिसान मुकिरा को कोई उजुर व एत-राज न होगा। खरीदार समिति को चाहिए कि वह अपना नाम कागजात सरकारी में बनाना मिलकियत दर्ज करा लेवे, तथा दर्ज नाम मिन मुकिरा खारिज करा देवे। जिसकी रजामन्दी इस बयनामा हाजा द्वारा समझी जावेगी। फिर

रामलली
रामलली

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

भी यदि कहीं जरूरत पड़ी तो मुकिरा अपनी तहरीरी व जुबानी रजामन्दी देने को पाबन्द रहेगी। मिन मुकिरा ने जायदाद उपरोक्त के पूर्ण रूप से पाक व साफ होने का यकीन व इतमिनान खरीदार समिति को करा दिया है। फिर भी यदि मुकिरा के फेल या तर्क फेल या नुक्स मिलकियत आदि की वजह से जायदाद मुबैया हाजा का कुल या जुज भाग कब्जा दखल खरीदार समिति के हक से निकल जावे या खरीदार समिति को जायदाद मुबैया हाजा की निस्बत आज दिन तक की बाबत कुछ भी अदा या सर्फ करना पड़े तो उसकी सारी जिम्मेदारी मुकिरा व वारि-

रामलाली
रामलाली

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

सान मुकिरा व कायम मुकामान वारिसान मुकिराकी होगी, और मन्दिर समिति को अधिकार होगा कि वह अपना कुल जर नमन मय हरजा खर्चा के मुकिरा की दीगर जात खास जायदाद मनकूला व गैर मनकूला से जिस प्रकार से चाहे दाम दाम नकद वसूल पा लेवे। इसमें मुकिरा व वारिसान मुकिरा व कायम मुकामान वारिसान मुकिरा को कोई उजुर व एतराज न होगा। जुमला शरायत दस्ता-वेज हाजा की पाबन्दी मुकिरा व वारिसान मुकिरा व कायम मुकामान वारिसान मुकिरा पर लाजिम व वाजिब होगी।

रामलाली
रामलाली

100 Rs

INDIA NON JUDICIAL

Rs 100

100 रु.

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

लिहाजा बदुरुस्ती होश हवास बिला किसी दाब नाजायज के स्वस्थ्य, मन, बुद्धि, चित्त व इन्द्रियों की स्वस्थ्य दशा में बिना किसी के बहकाये या बरगलाये राजी खुशी से यह चन्द कलमात बतौर बयनामा कतई तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरुरत पर काम आवे।

<u>विवरण जायदाद मुबैया</u>

आराजियात भूमिधरी नम्बरी १०४४ एक हजार चवालिस रकबा ०.३२८ हे० शून्य दशमलव तीन दो आठ

रामलली

रामलली

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

हे० व आराजी भूमिधरी नम्बरी १०९० एक हजार नब्बे रकबा ०.०५१ हे० शून्य दशमलव शून्य पांच एक हे० कुल्दो किता कुल रकबा ०.३७६ हे० यानी रकबा १।।।)२ एक बीघा सत्तरह बिस्वा स्थित मौजा बेरी अकबरपुर कछार परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर का १।४ एक बटा चार भाग विक्रय किया गया है। भूमि बेचने की आज्ञा श्रीमान सक्षम प्राधिकारी महोदय नगर भूमि सीमारोपण कार्यालय पारवती बागला रोड शहर कानपुर से बजरिये पत्र संख्या ६८० कृषि भूमि उत्तर १९९५ हे० को

रामलली

रामलली

२

बीस रुपये

भारत INDIA

२० रु. TWENTY RUPEES 20 RS

(१३)

प्राप्त कर ली है। स्टाम्प ड्यूटी सरकारी निर्देशानुसार सर्किल रेट ३,००,०००/- रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से ७०,४००/- रुपया पर मुबलिग १०,२२५/- रुपया की अदा की गयी है। अब मेरा कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा। मुकिरा अनुसूचितजाति एवं अनुसूचित जनजाति की नहीं है। जोन नम्बर २ ब्लाक कल्यानपुर है।

चौहद्दी-

पूरब- खा०नं० १०६१ राम कुमार, बाबूराम व राजकुमार

पश्चिम- खा०नं० १०८६ क्रेता महावीर सह०आ० समिति लि०

उत्तर- आराजी नम्बर १०६० का जुज भाग मिलकियती क्रेता महावीर सहकारी आवास समिति

दक्षिण- वैरीअकबरपुर बांगर

तफसील वसूलयाबी जरे समन मुबलिग ४६,२५०/- किया लिस

राम लाला
रामलाला

...Compound, Kanpur

5 Rs

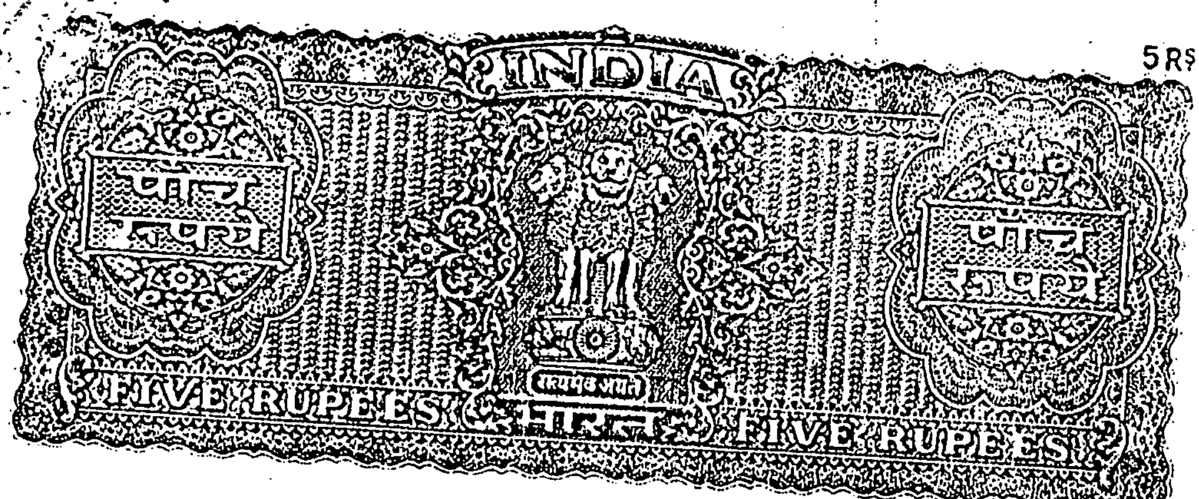

(१४)

हजार दो सौ पचास रुपया।

मुबलिग ४६,२५०।- छियालिस हजार दो सौ पचास रुपया रुबरु श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय कानपुर के मुकिरा ने उपरोक्त खरीदार समिति से नकद वसूल पा लिया है। निस्बत जर समन अब एक भी पैसा पाना जिम्मे खरीदार के शेष नहीं रहा।

तहरीर तारीख- १०-१०-१९९५ ई० रामलाली

गवाह१- [signature] रामलाली

गवाह-२ [signature]

टाइपकर्ता [signature]

राजेश कुमार सिंह,
ला०न० ८३ कोर्ट कानपुर

DRAFTED BY ME
[signature]
16/6/95 Ashfaq Khan
Advocate
Court Compound, Kanpur

73

5 RS

INDIA

पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

(१४)

मुबलिग ४६,२५०/- छियालिस हजार दो सौ पचास रुपया

नकद श्रीमान् सब रजिस्ट्रार महोदय कानपुर के मुकिराने

उपरोक्त खरीदार समिति ने नकद वसूल पा लिया है निस्बत

समन अब एक भी पैसा पाना जिम्मे खरीदार के शेष नहीं रहा।

तहरीर तारीख- २४-११-१९९५ ई०

सुशीला देवी

सुशीला देवी

गवाह१- [illegible]

गवाह-२ [illegible]

टाइपकर्ता-
[illegible]
राजेश कुमार सिंह,
ला नं० ८३ कोर्ट कानपुर

DRAFTED BY ME

[illegible] Advo

[illegible]vind Kumar Sriv[illegible]
ADVO[illegible]